

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 226/2019

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,  
शाखा- वैशाली नगर, अजमेर (राज.)  
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्क्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1) मैसर्स नजमुद्दीन पोल्ट्री फार्म प्रो० श्री नजमुद्दीन पुत्र श्री फखरुद्दीन  
पता:-प्रेसिडेन्ट स्कुल के पास, ग्राम गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज०)
- (2) श्रीमती जन्नत बीबी पत्नी श्री फखरुद्दीन  
पता:-75 प्रेसिडेन्ट स्कुल के पास, ग्राम गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज०)  
एवं ग्राम ऊटडां, तहसील व जिला अजमेर (राज०)
- (3) श्री लाल मौहम्मद पुत्र श्री इब्राहिम  
पता:- 81, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज०)
- (4) श्री इमरान खान पुत्र श्री लाल मौहम्मद  
पता:- 87, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज०)
- (5) श्री ऐहसान खान पुत्र श्री अब्दुल करीम  
पता:- 174, गरीब नवाज कॉलोनी, ग्राम गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज०)  
.....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्क्युराईटेशन रिकसटक्शन  
आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ  
सिक्क्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र खोरानियाँ

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 30.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स नजमुद्दीन पोल्ट्री फार्म प्रो० श्री नजमुद्दीन पुत्र श्री फखरुद्दीन एवं श्रीमती जन्नत बीबी पत्नी श्री फखरुद्दीन, निवासी:- प्रेसिडेन्ट स्कुल के पास, ग्राम गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज०) को दिनांक 20.08.2018 को सावधि ऋण खातों में रु 50,00,000/- (अक्षरे रूपये पचास लाख मात्र) एवं नकद साख ऋण खातों में रु 90,00,000/- (अक्षरे रूपये नब्बे लाख मात्र) कुल ऋण रु 1,40,00,000/- (अक्षरे रूपये एक करोड चालीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर (1) ग्राम गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज०) स्थित आवासीय सम्पत्ति (क्षेत्रफल 184.50 वर्गगज), जिसका पट्टा नं० 16 श्री इमरान खान पुत्र श्री लाल मौहम्मद के नाम से है, जिसके पूर्व में- चांद की सम्पत्ति, पश्चिम- रास्ता, उत्तर -श्री लाल मौहम्मद की सम्पत्ति, दक्षिण -रास्ता, (2) ग्राम गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज०) स्थित आवासीय सम्पत्ति (क्षेत्रफल 223.72 वर्गगज), जिसका पट्टा नं० 15 श्री लाल मौहम्मद पुत्र श्री इब्राहिम के नाम से है, जिसके पूर्व में- चांद की सम्पत्ति, पश्चिम- रास्ता, उत्तर -श्री नाथू की सम्पत्ति, दक्षिण - श्री इमरान की सम्पत्ति, (3) ग्राम गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज०) स्थित आवासीय सम्पत्ति (क्षेत्रफल 152.27 वर्गगज), जिसका पट्टा नं० 25, मिसल नं० 352 श्री ऐहसान खान पुत्र श्री अब्दुल करीम के नाम से है, जिसके पूर्व में- श्री हकीम व श्री अजीज की सम्पत्ति, पश्चिम-आमिन खान की सम्पत्ति, उत्तर -आम रास्ता, दक्षिण -कॉलेज, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का



*Alsharma*  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 08.07.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 20.08.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस सावधि ऋण खाते में रुपये 54,80,746/- (अक्षरे रुपये चौपन लाख अस्सी हजार सात सौ छियालीस मात्र) एवं नकद साख ऋण खाते में रुपये 98,26,030/- (अक्षरे रुपये अठ्यानवे लाख छब्बीस हजार तीस मात्र) कुल ऋण 1,53,06,776/- (अक्षरे रुपये एक करोड तरेपन लाख छः हजार सात सौ छहत्तर मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial

assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The

Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति (1) ग्राम गेगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज0) स्थित आवासीय सम्पत्ति (क्षेत्रफल 184.50 वर्गगज), जिसका पट्टा नं0 16 श्री इमरान खान पुत्र श्री लाल मौहम्मद के नाम से है, जिसके पूर्व में- चांद की सम्पत्ति, पश्चिम- रास्ता, उत्तर -श्री लाल मौहम्मद की सम्पत्ति, दक्षिण -रास्ता, (2) ग्राम गेगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज0) स्थित आवासीय सम्पत्ति (क्षेत्रफल 223.72 वर्गगज), जिसका पट्टा नं0 15 श्री लाल मौहम्मद पुत्र श्री इब्राहिम के नाम से है, जिसके पूर्व में- चांद की सम्पत्ति, पश्चिम- रास्ता, उत्तर -श्री नाथू की सम्पत्ति, दक्षिण - श्री इमरान की सम्पत्ति, (3) ग्राम गेगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज0) स्थित आवासीय सम्पत्ति (क्षेत्रफल 152.27 वर्गगज), जिसका पट्टा नं0 25, मिसल नं0 352 श्री ऐहसान खान पुत्र श्री अब्दुल करीम के नाम से है, जिसके पूर्व में- श्री हकीम व श्री अजीज की सम्पत्ति, पश्चिम-आमिन खान की सम्पत्ति, उत्तर -आम रास्ता, दक्षिण -कॉलेज, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्त कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 30.12.2019 को सुनाया गया।



*(विश्व मोहन शर्मा)*  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर